बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
आदेश

संख्या-5/आ04-1011/2016- 479 पटना, दिनांक- 04/06/18

निर्मल भारत अभियान अन्तर्गत जिला जल एवं स्वच्छता समिति, अरवल द्वारा करपी प्रखण्ड के रामपुर चाय पंचायत में विभिन्न स्वयं सेवी संस्थाओं एवं अन्य द्वारा निर्मित घरेलू शौचालयों के निर्माण कार्य की जाँच में मात्र 115 अदद घरेलू शौचालय ही निर्मित पाये गए एवं शेष 227 अदद घरेलू शौचालयों के निर्माण कार्य के विरूद्ध कुल ₹6,99,310.00 (छः लाख निन्यानवे हजार तीन सौ दस) रूपये के अनियमित भुगतान का मामला सरकार के संज्ञान में आया।

(2) मामले की सम्यक् समीक्षा की गई एवं श्री सरयू राम, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, अरवल सम्प्रति सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता, श्री उमानाथ साह, तत्कालीन सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, अरवल सम्प्रति सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, आरा, श्री विरेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, करपी सम्प्रति सेवानिवृत्त सहायक अभियंता, श्री प्रकाश चन्द्र प्रभाकर, तत्कालीन कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, अरवल सम्प्रति कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पूर्णियाँ एवं श्री राजेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, अरवल सम्प्रति सेवानिवृत्त कनीय अभियंता के विरूद्ध प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोप के आलोक में आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही संस्थित किये जाने का निर्णय लिया गया।

(3) आरोप पत्र प्रपत्र 'क' में गठित आरोप के अनुसार निर्मल भारत अभियान अन्तर्गत जिला जल एवं स्वच्छता समिति, अरवल द्वारा करपी प्रखण्ड के रामपुर चाय पंचायत में घरेलू शौचालय निर्माण की जाँच के क्रम में पाया गया कि विभिन्न स्वयं सेवी संस्थाओं एवं अन्य द्वारा कराये गये शौचालय निर्माण में से मात्र 115 अदद शौचालय ही जाँच में निर्मित है एवं शेष घरेलू शौचालय अनिर्मित पाये गये है। इस निर्माण कार्य के विरूद्ध आरोपित पदाधिकारियों/कर्मियों द्वारा कुल ₹6,99,310.00 का अनियमित भुगतान किया गया है/ भुगतान में सहयोग किया गया है, जिससे उक्त राशि की राजकोषीय क्षति हुई है।

(4) तदनुसार समीक्षोपरान्त विभागीय आदेश संख्या-5/वि०आ०2-110/2015(खण्ड)-230, दिनांक-14.03.2018 के द्वारा श्री सरयू राम, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, अरवल सम्प्रति सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता से अनियमित भुगतान की 50 प्रतिशत राशि अर्थात् ₹3,49,655.00 (तीन लाख उनचास हजार छः सौ पचपन) रूपये मात्र की वसूली का आदेश निर्गत

किया जा चुका है। शेष 50 प्रतिशत राशि निम्नलिखित पदाधिकारी/कर्मी से समानुपातिक रूप से निम्न सारणी के अनुसार वसूल किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

क्र० सं०	पदाधिकारी/कर्मी का नाम	पदनाम	वसूल की जानेवाली राशि (₹ में)
1	2	3	4
1	श्री उमानाथ साह	सहायक अभियंता	₹17,728.00
2	श्री विरेन्द्र प्रसाद	सेवानिवृत्त सहायक अभियंता	₹1,57,100.00
3	श्री प्रकाश चन्द्र प्रभाकर	कनीय अभियंता	₹1,57,100.00
4	श्री राजेन्द्र प्रसाद	सेवानिवृत्त कनीय अभियंता	₹17,728.00
		कुल राशि	**₹ 349,656.00**

(5) उक्त के आलोक में उपरोक्त सारणी में नामित पदाधिकारी/कर्मी को आदेश दिया जाता है कि उनके नाम के सामने स्तम्भ-4 में अंकित राशि को राजकोष में एक पक्ष के अंदर जमा किया जाय।

(6) यदि निर्धारित अवधि में उक्त पदाधिकारियों/कर्मियों के द्वारा निर्धारित राशि राजकोष में जमा नहीं किया जाता है, तो राशि की वसूली उनकी देय पावनाओं/बिहार एवं उड़ीसा लोक माँग वसूली अधिनियम के तहत की जायेगी।

4.6.18
(सतीश चन्द्र मिश्र)
अभियंता प्रमुख।

ज्ञापांक-5/आ04-1011/2016- 479 पटना, दिनांक- 04/06/18

Email

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त (वै.दा.नि.को.) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4.6.18
(सतीश चन्द्र मिश्र)
अभियंता प्रमुख।

ज्ञापांक-5/आ04-1011/2016- 479 पटना, दिनांक- 04/06/18

Email

प्रतिलिपि:-सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4.6.18
(सतीश चन्द्र मिश्र)
अभियंता प्रमुख।

ज्ञापांक-5/आ04-1011/2016- 479 पटना, दिनांक- 04/06/18

Email

प्रतिलिपिः-सचिव के आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता (क्षेत्रीय सहित)/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी सहायक अभियंता/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित पदाधिकारी/कर्मी/आई.टी. मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4.6.18

(सतीश चन्द्र मिश्र)

अभियंता प्रमुख।

4/6/18